

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002 (सत्र 1, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगी।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, लाल सिंह, सदस्य, इंदौर संभाग में हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा अकारण आपराधिक प्रकरण बनाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, सीधी जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में विकलांग व्यक्तियों की संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. शासकीय विधि विधेयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2002 (क्रमांक 4 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित  
समय

(1) श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के रहने के लिए संबंधित ग्रामों में शासन द्वारा शिक्षक आवास-गृह शीघ्र बनाये जावें।"

(2) सर्वश्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), बृजमोहन बन्नीनारायण, डॉ. दाल सिंह बिसेन, श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की मस्जिदों में चल रहे मदरसों के समान प्रदेश के रजिस्टर्ड मंदिरों में संस्कृत पाठशालाएं संचालित की जावें।"

(3) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में शासकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नियुक्तियां की जावें।"

भोपाल :  
दिनांक : 21 मार्च, 2002

डॉ.ए.के.प्यासी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.